न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)
समक्ष : सय्यद दानिश अली

निर्णय की तारीख : **01.05.2023**

प्रकरण संख्या : **118 / 2020**

Registration No-118/2020
Filing No.RCT 482/2020
CNR No. MP0907005082020
Registration Date 28-07-2020

(प्र.सू.रि. / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बेटमा, जिला इंदौर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	अपर लोक अभियोजन अधिकारी,
अभियुक्त	तय्यन उर्फ इमरान
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रियेश नागर, अधिवक्ता

अपराध की तारीख	23 / 03 / 2020
प्र.सू.रि. की तारीख	23 / 03 / 2020
आरोप–पत्र की तारीख	28 / 07 / 2020
आरोपों के विरचना की तारीख	25 / 02 / 2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	10 / 03 / 2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	29 / 04 / 2023
निर्णय की तारीख	01 / 05 / 2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	————

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	तय्यन उर्फ इमरान	दिनांक 23.03.2020	दिनांक 29.03.2020.	25(1–बी)(बी) आयुध अधि0	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 29.03.2020 तक एवं दिनांक 20.02.2023 से 22.02.2023 तक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	छंगा	जब्ती एवं गिरफतारी साक्षी
अ.सा.2	गणेश	जब्ती एवं गिरफतारी साक्षी
अ.सा.3	आशिक हुसैन	अनुसंधान अधिकारी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1 / अ.सा.1, अ.सा.2, अ.सा.3	जब्ती पत्रक
2	प्रदर्श पी.2 / अ.सा.1, अ.सा.2, अ.सा.3	गिरफतारी पत्रक
3	प्रदर्शपी–3 / अ.सा.1	पुलिस कथन
4	प्रदर्शपी–4 / अ.सा.2	पुलिस कथन

5	प्रदर्शपी–5 /अ.सा.3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6	प्रदर्शपी–6 व 7 /अ.सा.3	रवानगी व वापसी

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्रं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी.1/ब.सा.1	कुछ नहीं

पुलिस थाना बेटमा, देपालपुर जिला इंदौर के **अपराध क्रमांक 168/2020** अपराध अंतर्गत **धारा 25(1–बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959** से उद्भूत प्रकरण

:: नि र्ण य ::

(आज दिनांक 01/05/2023 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा **25(1–बी) (बी) आयुध अधिनियम, 1959** के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 23.03.2020 को करीब 10:20 बजे या उसके लगभग स्थान आम रोड घाटाबिल्लौद अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना क्रं. 6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि अनुसंधान अधिकारी आशिक हुसैन दिनांक 23.08.2020 को हमराह कमलैष के साथ ईलाका भ्रमण करते हुये बायपास रोड पहुंचे, जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति फैमस बिला कॉलोनी घाटाबिल्लौद में एक लोहे का तेज धारदार छुरा लेकर घूम रहा है, मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान गणेश व छंगा उर्फ रूबाब को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया व हमराह लेकर फेमस विला कॉलोनी के सामने आम रोड पर पहुंचा, जहां पर एक बताये गये हुलिये का व्यक्ति दिखा जो हाथ में लोहे का धारदार छुरा लेकर घूमते हुये दिखा, जिसे हमराही फोर्स व पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकडा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इमरान

उर्फ तैयन पिता नासिर खान निवासी–घाटाबिल्लौद का होना बताया, जिससे छुरा रखने के संबंध में लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य अभियुक्त का कृत्य 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम का पाया जाने से वापसी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार कर विचारण की मांग की। धारा 313 दं.प्र.सं. के के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर उसका कहना है साक्षीगण रंजिशवश उसके विरूद्ध बोलते हैं, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है ।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जो प्रश्नबिन्दु विचारणार्थ उत्पन्न होता हैं, वह निम्नानुसार हैं :–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.03.2020 को करीब 10:20 बजे या उसके लगभग स्थान आम रोड घाटाबिल्लौद अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना क्रं.6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?

<u>–: सकारण निष्कर्ष :–</u>

5. अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में अभियोजन की ओर से छंगा (अ.सा.1) गणेश (अ.सा.2), आशिक हुसैन (अ.सा.3) का परीक्षण न्यायालय में कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

6. मामले में स्वतंत्र साक्षीगण छंगा अ.सा.1 व गणेश अ.सा. 2 ने अपने परीक्षण में बताया है कि वे अभियुक्त को नहीं जानते है, उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, जब्ती पंचनामा प्रपी–1 है, व गिरफतारी पंचनामा प्रपी–2 पर साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मामले में स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियेाजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।

7. मामले में जब्तीकर्ता एवं अन्वेषण अधिकारी आशिक हुसैन अ.सा.3 ने अपने परीक्षण में बताया है कि वह दिनांक 23.03.2020 को पुलिस थाना बेटमा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हमराह आरक्षक कमलेश के साथ रवाना होकर ईलाका भ्रमण करते हुये बायपास रोड पहुंचे, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति फेमल बिला कॉलोनी घाटाबिल्लौद में तेज धारदार छुरा लेकर घूम रहा है, उक्त सूचना पर विश्वास कर तस्दीक हेतु पंचान साक्षी छंगा व गणेश को साथ लेकर सूचना से अवगत कराया एवं बताये स्थान पर पहुंचे, वहां पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स व पंचान की मदद से पकडा, उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तैयन उर्फ इमरान पिता नासिर होना बताया। अभियुक्त से छुरा के संबंध में लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य 25 आर्म्स एक्ट का होने से अभियुक्त से छुरा गणेश व छंगा के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक प्रपी–01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर है। थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 168/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–5 है,जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। रवानगी, वापसी संलग्न की थी जो प्रपी–06 व 07 है। बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

8. मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुद्देमाल क्रमांक 455/2020 साक्षी के समक्ष प्रस्तुत होने पर उसके द्वारा बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत छुरा वही है, जो अभियुक्त से जब्त किया गया था। जब्ती पत्रक प्रपी–1 के अनुसार मामले मे एक लकडी का मूठ लगा हुआ लोहे का धारदार छुरा जब्त किया गया था, जिसकी लंबाई साढे नौ इंच, मूठ की लंबाई पांच इंच है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत छुरे का फल व मूठ अलग–अलग है, जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल का फल व मूठ अलग–अलग है। जब्ती पत्रक प्रपी–01 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि फल व मूठ अलग–अलग है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने अपने परीक्षण मे बताया है कि उनके द्वारा मौके पर

जब्ती चिट चिपकाकर छुरा कपडे में पैक किया गया था, परंतु जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल पर कोई भी जब्ती चिट नहीं लगी हुयी है। जब्तीकर्ता अधिकारी यह भी स्वीकार करते है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत छुरा धारदार नहीं है। इस प्रकार अभियोजन मौके पर जब्तशुदा आयुध व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल की एकरूपता प्रमाणित करने में असफल रहा है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि जब्तशुदा आयुध जब्ती दिनांक से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की अवधि में किस सुरक्षित अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में मामले में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं है। मामले में जब्तशुदा आयुध मालखाना थाना बेटमा में जमा किये जाने का कोई भी कमांक अभिलेख पर नहीं आया है। अंतिम प्रतिवेदन की कंडिका कमांक 10 में थाना संपत्ति रजिस्टर का कमांक भी रिक्त है, ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षीगण द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन ना किये जाने, जब्तशुदा आयुध की पहचान संदेहास्पद होने से जब्ती कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है तथा अभियोजन का मामला संदेहास्पद है।

9. अभिलेख पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.03.2020 को करीब 10:20 बजे या उसके लगभग स्थान फेमस बिला कॉलोनी अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना कं. 6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः विचारोपरांत यह न्यायालय मामले के **अभियुक्त तैयन उर्फ इमरान पिता नासिर खान,** निवासी–हाजी कॉलोनी, घाटाबिल्लौद जिला इंदौर को **धारा 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

10. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत और मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

11. अभियुक्त का धारा 428 दप्रसं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

12. मामले में जब्तशुदा एक छुरा मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा नियम एवं आदेश आपराधिक म.प्र. क नियम 680(4) के अनुसार संपत्ति के व्ययन के संबंध में आदेश संपत्ति ज्ञापन पर लिखकर ज्ञापन नायब नाजिर मालखाना को भेजा जावे और उसकी अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका में ली जाये, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)